कृषि विज्ञान केन्द्र, नौगांवा अलवर–1

(निदेशालय विस्तार शिक्षा)

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

नौगांवा – 301025, अलवर (राजस्थान),दूरभाष–01468–294276, Email:-kvknavgaon@gmail.com

क्र/वरि. वै. एवं अध्यक्ष/के.वी.के./2026–27/39–46 नौगांवा, (अलवर)दिनॉक :10.04.2026

दर निर्धारण खुली निविदा

सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि कृषि विज्ञान केन्द्र नौगांवा, जिला अलवर द्वारा निम्नानुसार सीलबन्द निविदाएं आमत्रिंत की जाती है। प्रत्येक कार्य के लिए अलग–अलग निविदा भरें एवं निविदा सम्बन्धी सभी अर्हताएं एवं शर्ते निविदा प्रपत्र में दर्शायी गयी है एवं कार्यालय सुचना पट्ट तथा वेबसाइट www.sknau.ac.in एवं sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

1. कार्य का नाम	**प्रक्षेत्र पर फसल में हिस्सा आधारित खेती**
2. बजट हैड	प्रक्षेत्र रिवोल्विंग फण्ड
3. कार्य की अनुमानित अवधि	खरीफ 2026 एवं रबी 2026–27
4. निविदा फार्म का मूल्य	500/– रूपये बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक/नगद
5. धरोहर राशि की प्रकृति व राशि	15000/–रूपये बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक/नगद
6. कार्य की अनुमानित मात्रा/लागत	खरीफ 2026 एवं रबी 2026–27 में फसल लगभग 16 हेक्टेयर मे (लगभग 5.00 लाख रू.)
7. प्रपत्र क्रय करने की दिनांक व समय	21.04.2026 को दोपहर 11.00 बजे तक
8. प्रपत्र जमा कराने की दिनांक व समय	21.04.2026 को दोपहर 12.00 बजे तक
9. निविदा खोलने की दिनांक व समय	21.04.2026 को दोपहर 2.30 बजे
10. पृष्ठ संख्या एक से चार	निविदा की शर्ते
11. परिशिष्ठ संख्या एक– पृष्ठ संख्या पॉच	फसल व हिस्सेदारी का विवरण
12. पत्राचार हेतु पता–वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, नौगांवा, जिला अलवर पिन नं. 301025	फोन नं.: 01468–294276(कार्यालय) मोबाईल नं0– 9424275467
NIB Code: SKN2627A0006	UBN:SKN2627SSRC00007

निविदा को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

Senior Scientist & Head KVK, ALWAR-1

क्रं/वरि. वै. एवं अध्यक्ष/के.वी.के./2026–27/40–46 नौगांवा, (अलवर) दिनॉक : 10.04. 2026

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान निदेशक महोदय, प्रसार शिक्षा निदेशालय,श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर निवेदन है कि कृपया प्रतिनिधि भेजने का कष्ट करें।
3. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर निवेदन है कि कृपया प्रतिनिधि भेजने का कष्ट करें।
4. सस्थां सलाहकार समिति प्रभारी/सदस्य/लेखाशाखा/.....।
5. प्रभारी, सिमका श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर ।
6. कृषि विज्ञान केन्द्र/ कृषि महाविद्यालय/ कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगांवा, अलवर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
7. रक्षित फाइल

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

Senior Scientist & Head KVK, ALWAR-1

दर निर्धारण खुली निविदा क्रमांक 3. प्रपत्र

निविदा की शर्तेः–

1.	प्रस्तावित निविदा सीलबन्द लिफाफे में जिस पर **''हिस्सा आधारित खेती के लिए निविदा''** लिखा हो को वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केन्द्र, नौगांवा, जिला अलवर को प्रेषित होनी चाहिए।
2.	प्रस्तावित हिस्सेदारी प्रतिशत फसल के सामने स्पष्ट लिखकर देनी होगी। किसी भी प्रकार की कांट छांट होने पर निविदा स्वीकार नहीं होगी।
3.	टैक्ट्रर संबंधी कार्य तथा डिस्क प्लाउ, हैरो, कल्टीवेटर द्वारा भूमि तैयारी कार्य, सीड़ ड्रिल द्वारा बुवाई, फर्टीलाईजर ड्रिलिंग कार्य आदि की व्यवस्था केन्द्र द्वारा ही की जावेगी अर्थात् इनसे संबंधित डीजल खर्च में निविदादाता का कोई योगदान नहीं रहेगा।
4.	बुवाई के दौरान एवं फसल वृद्धि के दौरान लगने वाले बीज, खाद एवं उर्वरक, फफूंदीनाशक, कीटनाशक कल्चर आदि की आपूर्ति केन्द्र द्वारा ही की जायेगी व प्रभारी अधिकारी की सिफारिश के अलावा देय नहीं होगा।
5.	निविदादाता को सिंचाई संबंधी पाईप, फव्वारे बेड, टी, डाट आदि गिनकर लिखित रूप में प्राप्त करने होंगे तथा समाप्त होने तक सारी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी एवं उतनी ही संख्या में गिनकर ही लौटाने होंगे, नहीं लौटाने पर इनकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
6.	विभिन्न प्रकार की शस्य क्रियायें फार्म मैनेजर व प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार करनी होगी तथा सारा श्रमिक व्यय एवं लगने वाले औजारों की व्यवस्था निविदादाता को ही वहन करनी होगी।
7.	फार्म पर कृषि कार्यो के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने, सांप काटने, बिजली से व अन्य किसी उपकरणों से या लापरवाही से दुर्घटना होने पर प्रभारी अधिकारी व केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
8.	फार्म पर बाड़ लगाने का कार्य निविदादाता को ही करना होगा। केन्द्र अलग से कोई भुगतान नहीं करेगा।
9.	निराई, गुडाई, थ्रेसिंग तथा संबंधित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुए निविदादाता को करने होंगे। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार फार्म मैनेजर व प्रभारी अधिकारी को होगा।
10.	फसल की कटाई एवं थ्रेसिंग कार्य के लिए, रीपर व बांईन्डर एवं थ्रेसर ट्रेक्टर सहित यदि केवीके पर उपलब्ध होगी तो विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित दरों पर किराये पर उपलब्ध करा दी जावेगी अन्यथा कटाई एवं थ्रेसिंग कार्य एवं श्रमिक कुशल, अकुशल सभी व्यवस्था ठेकेदार को स्वंय को करनी होगी एवं थ्रेसिंग के पश्चात् साफ किये फसल उत्पादन को बोरियों में भरकर फार्म मैनेजर व प्रभारी अधिकारी द्वारा बताये अनुसार तोलकर गोदाम में बोरियों की धांग निविदादाता को लगानी होगी।
11.	थ्रेसिंग पश्चात् बोरियों में भरते समय ध्यान रखें कि किसी भी बोरी का वजन 1 क्विंटल से अधिक नहीं हों एवं नमी या कचरा व अवांछित बीज के दाने, डंठल या अन्य अवांछित सामग्री हो तो पूनः सुखाना व साफ करना एवं पूनः बोरियों में भरना अथवा फार्म मैनेजर व प्रभारी अधिकारी के निर्देशाानुसार बोरियां भरनी होंगी जिसका अलग से कोई भुगतान देय नही होगा।
12.	थ्रेसिंग के बाद फसल उत्पादन को खलिहान से गोदाम तक लाने के लिए फार्म पर उपलब्ध टैक्ट्रर व मौजूद संसाधन उपलब्ध करवा दिये जायेगें जिनका कोई अतिरिक्त भुगतान नही लिया जावेगा लेकिन यदि फार्म पर टैक्ट्रर व अन्य संसाधन उपलब्ध नही होने पर सभी व्यवस्था ठेकेदार को स्वंय को करनी होगी जिसका कोई अलग से भुगतान देय नही होगा। ।
13.	ट्यूब–वेल के विद्युत बिल का भुगतान केन्द्र फार्म द्वारा वहन किया जावेगा जो फार्म मैनेजर व प्रभारी अधिकारी के निर्देशाानुसार परिचालन करना होगा। अन्य साधन से सिंचाई करने पर व्यवस्था निविदादाता स्वयं को करनी होगी।
14.	फार्म कार्य संतोषजनक नहीं होने पर निविदा को निरस्त करने का अधिकार प्रभारी अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा जो कि कॉन्ट्रेक्टर (निविदादाता) को मान्य होगा।
15.	आवास की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी। कार्यालय द्वारा कोई सुविधा देय नहीं होगी।
16.	फार्म पर बुवाई क्षेत्र के आस–पास खरपतवार व अन्य अवांछित पौधे निकालने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। पौधे नहीं निकालने पर लगने वाली मजदूरी का भुगतान निविदादाता से वसूला जावेगा।
17.	प्रथम वरियता प्राप्त पार्टी द्वारा कार्य नहीं संभालने पर ठेका निरस्त करके अगली वरीयता पार्टी को कार्य का

	आदेश प्रभारी अधिकारी दे सकेंगे। अनुबंध की अवधि आदेश की तारीख से एक साल तक के लिए होगी एवं अनुबंध की अवधि कार्य संतोषजनक होने पर आपसी सहमति में अगले एक साल के लिए और बढ़ाई जा सकती है।
18.	सिंचाई हेतु उपलब्ध ट्यूब–वैल से आवश्यकतानुसार एवं न्यायोचित सिंचाई करने की अनुमति होगी व रात्रि में फव्वारा लाइन निर्देशानुसार बदलनी होगी व फार्म पर फसलों की आवारा पशुओं जैसे नीलगाय से निगरानी रखने व फव्वारा लाइन की क्लीप लगाने, फव्वारा रूकने पर उसे चालू करने के लिए निविदादाता का श्रमिक हमेशा फार्म पर उपस्थित रहना आवश्यक है।
19.	निविदादाता की कोई शर्त मान्य नहीं होगी तथा निविदादाता या उसके मजदूर केन्द्र/ फार्म पर मदिरा एवं अन्य किसी भी नशाले पदार्थो का उपयोग नहीं करेगा और न ही किसी मजदूर को उपयोग करने देगा।
20.	फार्म क्षेत्र में लगे सभी उपकरण व सामान जिसमें नसर्री, प्रर्दशन ईकाईयां, स्प्रिंगकिलर सिस्टम, नैट हाउस, फलदार पौधे, ट्यूबबैल व फील्ड में लगे चारों तरफ के पेड़ों की चौकीदारी एवं सुरक्षा भी करनी होगी।
21.	फार्म फील्ड पर यदि खरीफ–रबी सीजन में किसी भी फसल की ट्रायल/केफेटेरिया लगायी जाती है तो जानवरों से उस फसल की सुरक्षा भी निविदादाता को ही करनी होगी।
22.	जिस भी क्षेत्र में खरीफ व रबी फसल बोयी जायेगी उस क्षेत्र के खेतों में लगे छोटे–बड़े फल आदि के पेड़ पौधे की सुरक्षा भी निविदादाता को ही करनी होगी।
23.	फार्म में बेर, अनार, अमरूद, नींबू व ऑवले के पेड़ों की सुरक्षा जानवरों से करनी होगी। अगर इन सब पेड़ों का ठेका किसी अन्य ठेकेदार को कर दिया जाता है तो इन पेड़ों की जिम्मेदारी दूसरे निविदादाता की होगी। लेकिन ठेका होने से पहले व फलों के बाग का ठेका समाप्त होने के बाद इनकी सुरक्षा फार्म फील्ड चौकीदार को करनी होगी। साथ ही यह देखना होगा कि कोई जानवर इस बगीचे में प्रवेश न करें।
24.	निविदा भरने से पूर्व समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़े व प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करें।
25.	सफल निविदादाता द्वारा धरोहर राशि 15000/– रूपये बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक/नगद जमा करानी होगी। जो निविदा अवधि तक जमा रहेगी तथा जिस पर किसी भी प्रकार की ब्याज देय नहीं होगी।
26.	फार्म पर 17 हैक्टेयर कृषि भूमि है, जिसमें खरीफ एवं रबी में मूंगफली, बाजरा, ढेचां, मूंग, सरसों, जौ, मेंथी व गेहूँ लगभग 15 हेक्टेयर मे लगायी जावेगी। जिसका क्षेत्रफल आवश्यकतानुसार घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। तथा विश्वविद्यालय के निर्देशाानुसार अन्य फसलों को घटाया या जोड़ा जा सकता है।
27.	यह ठेका/हिस्सा आधारित फसल सिर्फ खरीफ 2026 एवं रबी 2026–27 के लिए कार्यालय आदेश जारी होने के फसल फार्म फील्ड में से उठने तक के लिए मान्य होगा। फसल फील्ड में से उठने तक की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
28.	वजन तोलते समय नमी, कचरा, ट्रान्सपोर्टेशन लोस व स्टोर लॉस के लिए कुल वजन में 2 प्रतिशत की दर से काटा जावेगाा एवं अधिक खराबा या मिक्सर होने पर आवश्यकतानुसार कमेटी के निर्णय के अनुसार काटा जावेगा।
29.	बुवाई से लेकर थ्रेसिंग तक की प्रक्रिया में लगने वाले श्रमिक व्यय निविदादाता को ही वहन करना होगा।
30.	थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होने वाले बीज उत्पाद के बंटवारे के बाद ठेकेदार को फसलों का फसल काटने के समय कृषि उपज मण्डी अलवर के निर्धारित फसल निकालने की अवधि के 7 दिवस पूर्व एवं 7 दिवस बाद की अवधि के हिसाब से 14 दिनों के औसत भाव के आधार पर या विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार जो भी मूल्य होगा उसके हिस्से के उत्पाद का चैक द्वारा ट्रेजरी से पास होने के बाद भुगतान कर दिया जायेगा। ठेकेदार को भुगतान के उपरान्त केन्द्र अपने उत्पाद को किसी भी रूप में बेचे इसमें ठेकेदारों को कोई आपत्ति नहीं होगी।
31.	ठेकेदार को फसल कटाई के बाद कटी हुई फसल को कहां इकट्ठा करना है व कितने ढेर बनाने है। इसके लिए फार्म प्रबन्धक से सम्पर्क करना होगा व फसल इकट्ठा करने हेतु प्रतिकूल मौसमीय परिस्थिति को देखते हुए फार्म प्रभारी व प्रबन्धक से सम्पर्क करना होगा व फसल इकट्ठा करने हेतु प्रतिकूल मौसमीय परिस्थिति को देखते हुए फार्म प्रभारी व प्रबन्धक के निर्णय के अनुसार व कार्यशीघ्रता से करना होगा। फसल इकट्ठा करने हेतु ट्रैक्टर केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।
32.	निराई, गुड़ाई, थ्रेसिंग, दवाओं का छिड़काव/ भुरकाव व अन्य संबंधित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुए निविदादाता को करना होगा । प्रतिकूल मौसम होने पर कार्य रोके जाने अथवा जारी रखने व परिस्थिति अनुसार निर्णय लेने का अधिकार फार्म प्रभारी/ फार्म प्रबन्धक का होगा।
33.	फसल की थ्रेसिंग के पश्चात् साफ किये दाने को बोरियों में भरकर, तोलकर गोदाम में पहुँचाकर धांग लगानी होगी। थ्रेसिंग के दौरान लगने वाले लेबर का सभी खर्चा स्वयं ठेकेदार का होगा। थ्रेसिंग के बाद

	फसल उत्पाद को खलिहान से गोदाम तक लाने हेतु टैक्ट्रर केन्द्र द्वारा उपलब्ध करायी जावेगी।
34.	फसल में रोगिंग/ अवांछित पौधों को निकालने का कार्य फार्म प्रभारी/ फार्म प्रबन्धक की देखरेख में अलग–अलग समय पर करवाना होगा। रोगिंग के दौरान लगने वाले लेबर का सभी खर्चा स्वयं ठेकेदार का होगा।
35.	बोरिंग, पम्प, ईंजन, पंखा इत्यादि का ऑपरेशन निविदादाता को ही करना होगा एवं उसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की ही होगी।
36.	श्रमिकों को लाने, ले जाने, पानी लाने व अन्य श्रमिक क्षति होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
37.	फसल की दिन व रात्रि चौकीदारी निविदादाता की होगी व निविदादाता को दिन व रात्रि में अपना चौकीदार रखना अनिवार्य होगा।
38.	निविदादाता को सभी कार्य समय पर फार्म प्रभारी/ प्रबन्धक की मॉग अनुसार कराने होंगे यदि कोई कार्य समय पर नहीं कराया गया या प्रभारी अधिकारी, कार्य से संतुष्ट नहीं हुए तो उस स्थिति में कार्य कार्यालय द्वारा करा लिया जायेगा व भुगतान ठेकेदार को करना होगा या अन्य कार्यवाही भी की जा सकती है।
39.	जिसके नाम हिस्सा बटाई का ठेका छूटेगा उसी व्यक्ति को आदेश मिलने के बाद से ही निविदा की शर्तो के अनुसार फार्म फील्ड की चौकीदारी का कार्य भी संभालना होगा। जो कि वर्षपर्यन्त फसल खेत में से उठने तक मान्य होगा।
40.	किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के आर्बीटेशन में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
41.	थ्रेसिंग का कार्य सुबह 8 बजे से सांय 5 बजे तक किया जावेगा।
42.	सफल निविदादाता को समस्त शर्तो के तहत कार्य करने व ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी ऐसा लिखकर दो गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
43.	**निविदादाता अगर कोई कार्य फार्म प्रभारी/ फार्म प्रबन्धक के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करता है तो अगले दिन कार्यालय स्वयं मजदूर लगाकर कार्य को करवा लिया जावेगा। जिसका भुगतान ठेकेदार के अन्तिम भुगतान में से काट लिया जावेगा।**
44.	निविदादाता सम्पूर्ण फसल मौसम में श्रमिकों का भुगतान स्वयं करेगा। अन्तिम भुगतान हेतु ठेकेदारों को सभी श्रमिकों का कार्य का भुगतान कर देने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
45.	इन सभी कृषि कार्यो हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा।
46.	समस्त कार्य पूर्ण होने पर प्रभारी अधिकारी को कार्य से संतुष्ट होने पर ही हिस्सेदारी का अन्तिम भुगतान किया जा सकेगा।
47.	यह ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा तथा जिसके नाम ठेका है कार्य उसी व्यक्ति को करना होगा।
48.	किसी प्रकार के होने वाले प्राकृतिक नुकसान के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा। इसमें केन्द्र किसी प्रकार की आर्थिक सहायता देने के लिए बाध्य नहीं होगा।
49.	समस्त निविदादाता अपने मूल पते सहित फोटो पहचान पत्र व पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करें।
50.	निदेशक अनुसंधान, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कार्यालय आदेश क्रमांक No.F.04/Estt. ()/DOR/SKNAU/2022/679 Dated: 20.10.2022 के अनुसार शर्ते मान्य होगी।
51.	किसी प्रकार के सर्विस टैक्स/ जी.एस.टी./आयकर या अन्य कोई अतिरिक्त कर हो तो स्पष्ट उल्लेख करें एवं विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के नियमानुसार आयकर कटोती के उपरान्त ही भुगतान किया जावेगा।
52.	किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
53.	मैनें उपरोक्त सभी शर्तो को पढ़ लिया है एवं समझ लिया है एवं मैं उपरोक्त शर्तो के अनुसार हिस्सा बटाई की खेती करने हेतु सहमत हूँ।

हस्ताक्षर ठेकेदार

Senior Scientist & Head
KVK, ALWAR-1

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

परिशिष्ट संख्या – 1

निविदादाता द्वारा किये जाने वाले कार्य व प्रतिशत हिस्सा का विवरण

क्र0 सं0	फसल	विवरण	निविदादाता द्वारा प्रस्तावित स्वंय की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)
खरीफ 2026			
1.	**बाजरा**	दाना एवं चारा	
2.	**ग्वार**	दाना	
3.	**मूंग**	दाना	
4.	**ढेंचा**	दाना	
5.	**मूंगफली**	दाना	
6	**अन्य**	दाना	
रबी फसल 2026–27			
1.	**सरसों**	दाना एवं भुसा (तुड़ी)	
2.	**जौं**	दाना एवं भुसा (तुड़ा)	
3.	**गेहूँ**	दाना एवं भुसा (तुड़ा)	
4.	**मैथी**	दाना	
5	**चना**	दाना	
6	**अन्य**	दाना	

❖ विवरण में जहां दाना लिखा है वहां सिर्फ दाने का प्रतिशत हिस्सा एवं जहां दाना एवं भुसा लिखा है वहां दाने एवं भुसे का प्रतिशत हिस्सा देय होगा।

मैं निविदा की समस्त शर्तो से सहमत हूँ तथा मैं उपरोक्त शर्तो पर कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

ठेकेदार के हस्ताक्षर मय पता व टेलीफोन नं0 सहित

अनुसंधान निदेशालय
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय,
जोबनेर-303329 जिला.जयपुर (राजस्थान)
दूरभाष/फैक्स नं. 01425-254966(ऑ), 9251692348(मो.)
ई-मेल : director.research@sknau.ac.in

डॉ. एम.एल.जाखड़
निदेशक अनुसंधान

No. F.04/Estt.( )/DOR/SKNAU/2022/ 679 Dated: 20.10.2022

कार्यालय आदेश

माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन पश्चात् विश्वविद्यालय के अधीनस्थ कार्यरत ईकाईयो पर हिस्सा आधारित खेती के लिये निम्नानुसार दिशा–निर्देश तुरन्त प्रभाव से निर्धारित किये जाते है:

1. श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्याालय, जोबनेर के अधीन विभिन्न केन्द्रो पर हिस्सा आधारित खेती बुवाई पूर्व से थ्रेसिंग तक या बुवाई के बाद (निराई–गुड़ाई से पहले) से थ्रेसिंग तक हिस्से के रूप मे करवाई जा सकती है।
2. बीज उत्पादन के लिये खेत की तैयारी से लेकर थ्रेसिंग व उत्पादन से प्राप्त बीज की सफाई करके गोदाम मे रखने के तक सभी कार्य हिस्साधारक (निविदादाता/ठेकेदार) को करने होगें। जिसमें खेत की तैयारी करना, पलेवा करना, बुवाई करना, सिंचाई करना, निराई–गुडाई करना, खरपतवारनाशी, कीटनाशी व फफूंदनाशी व उर्वरको का छिडकाव करना, फसल की कटाई करना, एकत्रित करके थ्रेसिंग करना इत्यादि कार्य हिस्साधारक को करने होगें।
3. खडी फसल मे हिस्सा लेने पर हिस्साधारक को फसल मे निराई–गुड़ाई से लेकर थ्रेसिंग व उत्पादन से प्राप्त बीज की सफाई करके गोदाम मे रखने तक के सभी कार्य करने होगें।
4. फसलो का चुनाव व बुवाई सम्बन्धित निर्णय प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार करने होगें।
5. हिस्साधारक को हिस्सा छूटने के तुरन्त बाद 1000/– प्रति हैक्टर के हिसाब से अमानत राशि जमा करवानी होगी।
6. बीज उत्पादन में काम आने वाले सभी आदान (बीज, खाद व उर्वरक, खरपतवारनाशी, कीटनाशी इत्यादि) एवं मशीनरी (थ्रेसिंग सहित) केन्द्र प्रभारी द्वारा उपलब्ध करवाये जायेगें।
7. ट्रेक्टर से सम्बन्धित सभी कृषि कार्य केन्द्र प्रभारी द्वारा करवायें जायेगें तथा डीजल भी केन्द्र द्वारा ही दिया जायेगा।
8. फार्म पर काम आने वाले कृषि उपकरणो, ओजारो, फव्वारे के पाईपो व नोजल इत्यादि की देख–रेख की जिम्मेदारी हिस्साधारक की होगी।
9. बीज उत्पादन हेतु समस्त शष्य क्रियाये फार्म मेनेजर/ईन्चार्ज व प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार समय पर करनी होगी तथा श्रमिको व ओजारो की व्यवस्था हिस्साधारक को करनी होगी।
10. फार्म की चोकीदारी ,पशु–पक्षियों से रखवाली, फसलो के आस–पास की सफाई हिस्साधारक को करनी होगी।
11. उत्पादित बीज का वजन तोलते समय नमी व कचरे का 2 प्रतिशत काटा जायेगा।
12. व्यवसायी उत्पादन मे हिस्साधारक को बीज व चारे का हिस्सा दिया जायेगा।
13. थ्रेसिंग व उत्पादित बीज को गोदाम मे रखने का कार्य सक्षम अधिकारी की देखरेख मे करवाना होगा।
14. यदि हिस्साधारक कृषि कार्य समय पर या ठीक से नहीं करता है तो उसकी अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी तथा उसका हिस्सा तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।

15. हिस्साधारक को उत्पादन के रूप में बीज नहीं दिया जायेगा हिस्से की राशि उत्पादन को मे जमा कराने की तिथि से नजदीकी सरकारी मण्डी मे 7 दिन पहले एवं 7दिन बाद तक के औसत मण्डी भाव के अनुसार अदा की जायेगी। हिस्साधारक को उसके हिस्से का चारा दिया जायेगा।
16. निविदा समाप्त होने पर फार्म से लिये गये सभी सामान जमा करवाने होगें।
17. हिस्सा आधारित खेती का अनुबंध एक सीजन के लिये किया जा सकेगा।
18. कृषि कार्य करने के दौरान हिस्साधारक व उसके श्रमिको के साथ किसी भी तरह की दुर्घटना होती है तो वे इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होगें।
19. मौसम या अन्य कारणो से अगर फसल खराब होती है तो हिस्साधारक को श्रमिको की मजदूरी का भुगतान नहीं किया जायेगा।
20. केन्द्र प्रभारी निविदा के समय केन्द पर उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अन्य निविदा शर्तो को भी शामिल कर सकते है।
21. संबधित विश्वविद्यालय इकाई द्वारा हिस्साधारक को उत्पादन भण्डार मे रखने के अधिकतम एक माह मे हिस्सा राशि संबधित हिस्सादार को अदा करनी होगी।

निदेशक अनुसंधान

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान कुल सचिव, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
3. श्रीमान् वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
4. समस्त निदेशक/अधिष्ठाता/क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान/परीक्षा नियंत्रक/प्रभारी अधिकारी/कार्यक्रम समन्वयक/भू–सम्पत्ति अधिकारी/परियोजना प्रभारी/आहरण वितरण अधिकारी/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, KVK/.....।
5. सिमका प्रभारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
6. श्रीमान कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
7. रक्षित पत्रावली।

20.10.2022

निदेशक अनुसंधान